"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ सी. ओ./रायपुर/17/2002"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 मई 2003—ज्येष्ठ 6, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक 3379.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशो अध्यादेश, 2002 (क्र. 5 सं. 2002) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसा
अनुराधा खरे, उप

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 5 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2003

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (एक) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 है.

(दो) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे.

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1995 (क्रमांक 2 सन् 1915) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 34, 47 क एवं 59-क में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 34, 47-क तथा 59-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) एवं (3), धारा 47-क की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा 59 -क की उपधारा (एक) एवं (दो) शब्द "पचास बल्क लीटर" के स्थान पर शब्द "पच्चीस बल्क लीटर" स्थापित किया जाये.

रायपुर
दिनांक / /2003

राज्यपाल,
छत्तीसगढ़.

रायपुर, दिनांक 27 मई 2003

क्रमांक 3379.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्र. 5 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 5 of 2003)

THE CHHATTISGARH EXCISE (AMENDMENT) ORDINANCE , 2003

An Ordinance further to Amend the Chhattisgarh Excise Act, 1915.

Promulgated by the Governor in the Fifty-fourth year of the Republic of India.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. (i) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Excise (Amendment) Ordinance, 2003. **Short title and Commencement.**

(ii) It shall come into force on such date as the State Government may by notification, appoint.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) (hereinafter referred to as the principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in Section 34, 47-A and 59-A. **Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) to be temporarily Amended.**

3. In Sub-section (2) and (3) of Sction 34, Sub-section (1) and (2) of Section 47-A, Sub-section (i) and (ii) of Section 59-A of the principal Act, for the words "fifty Bulk litres", the words "twenty-five Bulk litres" shall be substituted. **Amendment of Section 34, 47-A and 59-A**

Raipur
Dated / /2003

Governor,
CHHATTISGARH.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003